



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-353

New Delhi: 31.08.2018

Shri Sanjay Kumar Gupta,
S/o Sh. Ram Naresh Gupta
H No. 39, Sahayal Road,
Dibiyapur-206244
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 22.08.18 received through DOPT.

The information sought for by you has been denied u/s 8(g) of RTI Act. Reply received from the concerned office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

[S.K.PANDA]

Dy. G.M/ Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

: For information & Record.



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 28-08-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
दुण्डला (आगरा)

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायल रोड, दिबियापुर, जनपद-औरैया, द्वारा मांगी गई सूचना पत्र दिनांक 22.08.18 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- डिप्टी जी०एम०/एम्मीन/पी०आई०ओ० का पत्रांक सं० 2018/HQ/ADMIN/RTI-353 दिनांक 27.08.18

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डी०जी०एम०/एडमीन (पी०आई०ओ०) का पत्रांक सं० 2018/HQ/ADMIN/RTI-353 दिनांक 27.08.18 जो आपको सम्बोधित है, संलग्न सहित इस कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से दिनांक 27.08.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

श्री संजय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री राम नरेश गुप्ता, ने अपने पत्र दिनांक 22.08.18 द्वारा 04 प्रस्तारों पर सूचनाएं मांगी हैं। जिसमें प्रार्थी ने जनपद औरैया के सभी परियोजना प्रभावित क्षेत्रों की ऐसी भूमि जो आबादी से 200 मी० की त्रिज्या में है, निकट आबादी है, या आबादी भूमि है तथा प्रभावित भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति के अंतिम प्रतिकर के मूल्यों/दरों की सूचना की मांगी गई है।

इस सम्बन्ध में, अवगत कराना है कि उक्त सूचनाएं जनपद औरैया के विभिन्न भूस्वामियों के विभिन्न गाटों, के दर तथा मूल्यांकित प्रतिकर से सम्बन्धित हैं, जिसकी सूचना किसी अन्य को दिया जाना नियमानुकूल नहीं है।

अतः सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(छ) के अन्तर्गत तृतीय पक्ष से सम्बन्धित विषयगत सूचना/प्रमाणित छायाप्रति दिया जाना उचित नहीं है।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

30
28/08/2018
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल./कानपुर।